भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
06.12.2023 के
अतारांकित प्रश्न सं. 659 का उत्तर

मानवरहित रेल समपार

659. डॉ. निशिकांत दुबेः
प्रो. अच्युतानंद सामंतः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में सम्पूर्ण देश में राज्य-वार कुल कितने रेल समपार हैं;
(ख) सभी उपलब्ध और परिचालनशील लाइनों पर कुल कितने मानवरहित रेल समपार हैं;
(ग) सरकार द्वारा सभी परिचालनशील लाइनों पर मानवरहित रेल समपार को समाप्त करने के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है;
(घ) सरकार ने समाप्त कर दिए गए मानवरहित समपारों के क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है; और
(ड.) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में रेल समपारों पर कितने लोगों की मौत हुई और ऐसी दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

मानवरहित रेल समपार के संबंध में दिनांक 06.12.2023 को लोक सभा में श्री डॉ. निशिकांत दुबे और प्रो. अच्युतानंद सामंत के अतारांकित प्रश्न सं. 659 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल नेटवर्क की चालित लाइनों पर कुल 18477 अदद रेल फाटक हैं जिसमें 17,918 चौकीदार वाले रेल फाटक और 559 बिना चौकीदार वाले रेल फाटक शामिल हैं। अक्टूबर 2023 तक, 240 चौकीदार वाले रेल फाटक को समाप्त कर दिया गया है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न है।

(ग): 31.01.2019 तक भारतीय रेल के बड़ी लाइन नेटवर्क की चालित लाइनों पर बिना चौकीदार वाले सभी रेल फाटक समाप्त कर दिए गए थे। भारतीय रेल में मीटर लाइन और छोटी लाइन रेलखंडों पर केवल 559 बिना चौकीदार वाले रेल फाटक मौजूद हैं, जिन्हें इन रेलखंडों के आमान परिवर्तन के दौरान समाप्त करने की योजना है।

(घ): बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों को चौकीदार की तैनाती करके या मौजूदा रेल फाटक/रोड अंडर ब्रिज/ रेल ओवर ब्रिज के साथ विलय के लिए मार्ग-परिर्वतन सड़क उपलब्ध कराकर या रोड अंडर ब्रिज/रोड ओवर ब्रिज के निर्माण द्वारा या सीधे बंद करके समाप्त किया जा रहा है, जो कि मौके की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

(ड.): 1 अप्रैल 2019 से, रेल फाटकों पर दुर्घटनाओं के कारण हताहत हुए व्यक्ठियोंकी संख्या 9 है।

देश में रेल दुर्घटनाओं को कम से कम करने के लिए भारतीय रेल द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- बिना चौकीदार वाले रेल फाटक को चौकीदार की तैनाती करके या मौजूदा रेल फाटक/रोड अंडर ब्रिज/ रेल ओवर ब्रिज के साथ विलय के लिए मार्ग-परिर्वतन सड़क उपलब्ध कराकर या रोड अंडर ब्रिज/रोड ओवर ब्रिज के निर्माण द्वारा या सीधे बंद करके समाप्त किया जा रहा है, जो कि मौके की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
- संरक्षा का संवर्धन करने के लिए उच्च रेल/सड़क यातायात वाले रेल फाटकों का सिगनलों के साथ अंतर्पाशन किया जाता है।
- रेल फाटकों पर सीटी बजाओ, सड़क चेतावनी बोर्ड, गति अवरोधक आदि जैसी बुनियादी अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं।

- रेल फाटकों को सुरक्षित तरीके से पार करने के लिए सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच संरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। संरक्षा नारों का प्रचार किया जाता है।

*****

अनुलग्नक – 'क'

राज्य-वार रेल फाटक (01.04.2023 तक)

क्रम सं	राज्य	चौकीदार वाले रेल फाटक	बिना चौकीदार वाले रेल फाटक
1	आंध्र प्रदेश	935	0
2	असम	871	0
3	बिहार	1759	0
4	चंडीगढ़	3	0
5	छत्तीसगढ़	191	0
6	दिल्ली	26	0
7	गोवा	8	0
8	गुजरात	1594	262*
9	हरियाणा	473	0
10	हिमाचल प्रदेश	53	0
11	जम्मू और कश्मीर	28	0
12	झारखंड	392	0
13	कर्नाटक	643	0
14	केरल	388	0
15	मध्य प्रदेश	639	0
16	महाराष्ट्र	737	6
17	मणिपुर	0	0
18	मिजोरम	1	0
19	नागालैंड	1	0
20	ओडिशा	675	0
21	पुदुच्चेरी	20	0
22	पंजाब	1022	0
23	राजस्थान	955	96*
24	तमिलनाडु	1335	0
25	तेलंगाना	289	0
26	त्रिपुरा	15	0
27	उत्तर प्रदेश	3040	32*
28	उत्तराखंड	153	0
29	पश्चिम बंगाल	1672	163*
	कुल	17918	559
कुल (चौकीदार वाले रेल फाटक + बिना चौकीदार वाले रेल फाटक)		18477	

* मीटर लाइन और छोटी लाइन रेलखंडों पर

*****